एनपीसीआईएल की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व योजना

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर विद्युत रिएक्टरों की डिज़ाइन, निर्माण, कमीशनिंग और प्रचालन के लिए उत्तरदायी है। एक उत्तरदायी निगम होने के कारण एनपीसीआईएल अपनी निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है जिसमें संधारणीय विकास (एसडी) कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है। अपने हितधारकों के लिए सीएसआर एनपीसीआईएल की प्रतिबद्धता है कि वह अपने कार्य को किफायती, सामाजिक एवं पर्यावरणीय रूप से संधारणीय तरीके से निष्पादित करे जो पारदर्शी व नैतिक हों। एनपीसीआईएल के हितधारकों में कर्मचारी, निवेशक, हीतधारकों, ग्राहक, कार्य-व्यापार साझेदार, यजमान, सिविल समाज समूह, सरकारी व गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण एवं समाज शामिल हैं।

एनपीसीआईएल के उद्देश्यों में सीएसआर कार्यों को सुदृढ़ करना है ताकि निकटवर्ती आबादी के समांवेशी विकास को हासिल किया जा सके। सीएसआर कार्यक्रमों को बनाते समय और उनका कार्यान्वयन करते समय एनपीसीआईएल कंपनी अधिनियम 2013 के संबंधित प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संबंधित निर्देशों का अनुपालन करता है।

उपर्युक्त के अनुसार एनपीसीआईएल की सीएसआर पॉलिसी के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं :

1. सीएसआर पॉलिसी के माध्यम से एनपीसीआईएल का उद्देश्य निम्नलिखित को हासिल करना है :

   (i) प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के माध्यम से संगठनात्मक सत्यनिष्ठा एवं नैतिक कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करना।

   (ii) हरित प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और मानकों को बढ़ावा देते हुए ऐसे माल व सेवाओं का उत्पादन करना जो सामाजिक व पर्यावरणीय संधारणीयता में योगदान दे सकें।

   (iii) क्षमता निर्माण उपायों, सीमांत एवं अल्प सुविधाप्राप्त वर्ग/समुदाय के सशक्तीकरण के माध्यम से समाज में समावेशी प्रगति और समान विकास में योगदान देना।

2. एनपीसीआईएल के सीएसआर कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :

   (i) भुखमरी, गरीबी एवं कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य रक्षा और स्वच्छता को प्रोत्साहित करना जिसमें स्वच्छता के प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार के स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है, एवं सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना।

   (ii) शिक्षा को प्रोत्साहित करना, जिसमें विशेषकर बच्चों, महिलाओं, वयोवृद्धों और असाधारण रूप से सक्षम लोगों के लिए विशेष शिक्षा, रोजीरोटी परीयोजनाएं एवं रोज़गार को बढ़ाने वाला व्यावसायिक कौशल शामिल है।

(iii) लिंग के आधार पर समानता को प्रोत्साहन, महिला सशक्तीकरण, महिलाओं और अनाथों के लिए आवास और छात्रावास का निर्माण; वृद्धाश्रमों का निर्माण, वयोवृद्ध नागरिकों के लिए दैनिक सेवा केंद्र व ऐसी ही अन्य दूसरी सुविधाएँ और सामाजिक व अर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की असमानताओं को दूर करने के उपाय;

(iv) पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति एवं प्राणी संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि-वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना एवं मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता को कायम रखना जिसमें गंगा नदी के निर्मलीकरण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए स्वच्छ गंगा कोष में योगदान देना शामिल है।

(v) राष्ट्रीय धरोहर, कला व संस्कृति का संरक्षण जिसमें एतिहासिक भवन, स्थल व कलाकृतियाँ शामिल हैं; सार्वजनिक पुस्तकालय बनवाना; पारंपरिक कला व हस्तशिल्प का प्रोत्साहन व विकास;

(vi) भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय;

(vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त खेलों, पैरालिंपिक खेलों व ओलिंपिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण;

(viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्रीय सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के राहत व कल्याण के लिए बनाए गए अन्य कोष;

(ix) शैक्षिक संस्थाओं में अवस्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर प्रदान करने के लिए अंशदान व निधि प्रदान करना जिसका अनुमोदन केंद्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है;

(x) ग्रामीण विकास परियोजनाएँ;

(xi) झुग्गी बस्ती विकास परियोजनाएँ।

3. परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) एवं संविदा जनशक्ति महत्वपूर्ण हितधारक हैं। इनमें से अधिकांश स्थलों से 16 किमी के घेरे में निवास करते हैं। इसलिए, एनपीसीआईएल के सीएसआर कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्यतया अपने स्थलों, केंद्रों और परियोजनाओं से 16 किमी के घेरे के अंदर आने वाले स्थानीय क्षेत्र को कवर करना है। सामान्यत: स्थानीय क्षेत्र में ग्रामीण आबादी को शामिल किया जाता है। आपवादिक मामलों में जहाँ शहरी या नगरपालिका क्षेत्र का समावेश 16 किमी के घेरे के स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत विकास के लिए उस पर भी विचार किया जाएगा। स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत सीएसआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में चरणबद्ध कार्यक्रम अपनाया जाता है। स्थल से 5 किमी के क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है। स्थल से 16 किमी के घेरे के अंदर के शेष क्षेत्र को सीएसआर कार्यक्रम के चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय प्राथमिकता दी जाती है। टाउनशिप से 5 किमी के घेरे के अंदर के क्षेत्र को भी सीएसआर परियोजनाओं के अंतर्गत लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि परियोजना विस्थापित परिवारों (पीडीएफ) हेतु परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) कॉलोनी संयंत्र स्थल से 16 किमी से दूर

स्थित है तो भी सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उस पर भी विचार किया जाता है। आपवादिक मामलों में सीएसआर परियोजनाओं को, स्थानीय आबादी के बाहर स्थल से 16 किमी से भी दूर कार्यान्वित किया जाता है बशर्ते वास्तव में उसका दृष्टिकोण 16 किमी के क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना हो। निदेशक मंडल का विशेष अनुमोदन लेकर राष्ट्रीय और मानवतावादी महत्व की समस्याओं के निवारण करने हेतु कुछ परियोजनाओं को या भारत में कहीं भी आपात व आपदा राहत के लिए सहायतार्थ कुछ परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है।

4. सीएसआर योजनाओं को तैयार करने के लिए आवश्यकताओं (स्थल विशिष्ट आधार रेखा सर्वेक्षण सहित) का व्यवस्थित आकलन किया जाता है । निकटवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों व स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जाने वाले विशेष अनुरोधों पर भी विचार किया जाता है। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष का उपयोग अल्प अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ कालिक योजनाओं को तैयार करने के लिए किया जाता है। स्थल स्तरीय समितियों की सिफारिशों पर इकाई प्रमुख इन योजनाओं के अनुरूप वार्षिक सीएसआर बजट निदेशक मंडल से मांगते हैं। सीएसआर परियोजनाओं को स्थानीय आबादी की सहभागिता और प्रतिभागिता से कार्यान्वित किया जाता है।

5. स्थल स्तरीय समितियों की सिफारिश पर अपनी-अपनी इकाइयों में सीएसआर परियोजनाओं के अनुमोदन / पुनर्निर्योजन के लिए इकाई प्रमुख सक्षम प्राधिकारी हैं। वर्तमान एचक्यूआई के भाग-1 में कार्य/सेवा/क्रय/कार्यालय या विविध व्यय इत्यादि के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन है जिसका अनुपालन सीएसआर व संधारणीय परियोजनाओं व कार्यों के लिए किया जाना होगा। तथापि, इन एचक्यूआई के भाग-2 में निहित प्रक्रिया लागू नहीं होंगी। इकाई प्रमुख स्थल स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्य/सेवा/क्रय/कार्यालय या विविध व्ययों इत्यादि के लिए प्रक्रियाओं के औचित्य को अनुमोदन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं। (दिनांक 22, अप्रैल 2016 के कार्यालय आदेश सं.एनपीसीआईएल/सीओ/एफ एंड ए/2016/1078 कठिनाइयों का निवारण का संदर्भ लें)

6. सीएसआर सेवाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए नामी गैर सरकारी संगठन, विशिष्ट एजेंसी, संविदाकार, ग्राम पंचायत, सरकारी विभाग जिसमें लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, स्व-सहायता समूह, महिला मंडल एवं स्वैच्छिक कर्मचारी समूह इत्यादि के सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

7. सीएसआर परियोजनाओं एवं कार्यों का निर्धारण गैर सरकारी संगठनों/विशिष्ट एजेंसियों/महिला मंडलों इत्यादि को कार्य/क्रय/सेवा संविदा देने या कार्यालय व्यय इत्यादि के लिए संबंधित एजेंसियों से प्रस्ताव मांगकर उन एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्थल स्तरीय सीएसआर समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। स्थल स्तरीय समिति की सिफारिश पर इकाई प्रमुख गैर सरकारी संगठनों/विशिष्ट एजेंसियों/महिला मंडलों इत्यादि को कार्य/क्रय/सेवा संविदा देने हेतु या कार्यालय के विविध व्ययों इत्यादि हेतु अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। (दिनांक 18 जुलाई 2011 के कार्यालय आदेश सं. एनपीसीआईएल/ईडी/(आर एंड आर)/आईसीडी/2011/एम/40 एवं दिनांक 29.08.2011 के परिपत्र के माध्यम से महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) द्वारा जारी स्पष्टीकरण का संदर्भ लें।)

8. स्थल सीएसआर एक्जीक्यूटिव द्वारा परियोजना के पर्यवेक्षण, वरिष्ठ एवं कॉर्पोरेट एक्जीक्यूटिव के साथ-साथ अभिभावक निदेशक के कार्य-क्षेत्र दौरे के माध्यम से सीएसआर परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का मॉनीटरन व प्रभाव आकलन नियमित रूप से किया जाता है। इस क्षेत्र में विशिष्ट बाहरी एजेंसियों द्वारा आंतरिक सामाजिक लेखापरीक्षा एवं प्रभाव आकलन भी कराया जाता है।

9. कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए उत्तरवर्ती संशोधनों एवं सीएसआर प्रावधानों के संबंध में उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को भी इस पॉलिसी के एक भाग के रूप में समझा जाता है।